कमीशन को पिक्चर में लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। मिनिस्ट्री में खुद ही यह होता है जैसे सतलुज और दूसरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उन में राजस्थान का 15.5 शेयर है। इसलिए इस में भी ऐसा क्यों नहीं रखा गया है।

दूसरी बात यह है कि फाइनेन्शियल पोजीशन के बारे में आप ने कह। जब स्टेट देने को तैयार है, पार्टीसिपेड करने को तैयार है, तो फिर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आप यह तय करते हैं कि स्टेट को 15.5 शेयर दिया जाएगा, तो उस की प्राइस क्या होगी, पावर की पर यूनिट प्राइस क्या होगी। जिस प्राइस के ऊपर हरियाणा, यू०पी० और हिमाच प्रदेश को बिजली मिलेगी, उसी प्राइस पर राजस्थान को दी जाएगी या एज परवेजर प्राइस को अलग से निगोशियेट करने की बात आएगी। उस के बारे में बताने की कृपा करे। एक चीज मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इस को आप टेम्पोरेरी फेज न समझें। कई वर्षों से आर०ए०पी०पी० का जो फंक्शनिंग रहा है, उस को ध्यान में रखते हुए सोच कर चलें कि उस का फंक्शनिंग क्या होना चाहिए।

श्री विक्रम महाजन : जहां तक आर०ए० पी०पी० के फंक्शनिंग का सवाल है, हर साल वह इम्प्रूव करता जा रहा है। माननीय सदस्य ने खुद ही फीगर दी थी कि 1977 में 200, 250 दिन था, 1978 में वह 200 से ज्यादा हुआ और 1979 में कम हुआ। तो मेरे पास 1980 के फीगर्स हैं जिन में 11 दफा गया है और दिन भी कोई 90 के करीब हैं। तो हर साल पावर स्टेशन इम्प्रूव करता जा रहा है और हमें उम्मीद है कि जिस तेजी से, जिस रफनार से यह इम्प्रूव कर रहा है इस से अगले साल और कम तकलीफ होगी इसकी वजह से।

जहां तक नापथा झाकड़ी का सवाल है मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने और हरियाणा ने अपना एग्रीमेन्ट किया था। जिस स्टेट के पास आइडल प्रोडक्शन होता है उसको हक होता है कि वह डाइवर्शन करे और आपस में एग्रीमेंट को, किसी भी स्टेट के साथ एग्रीमेन्ट करे। इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट किया। हमने उनसे कहा कि बाकी की नार्दन स्टेटों को भी कुछ शेअर दे दीजिए तो उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। यह बेसिक एग्रीमेंट हिमाचल और हरियाणा सरकार का है। हम तो इसमें जब आये जब हमने कहा कि बाकी स्टेटों को भी पावर मिलनी चाहिए। वरना उनका हक है वे हमें भी एक्सक्लूड कर सकते हैं।

जहां तक रेट्स का सवाल है, राजस्थान को भी उसी रेट् पर पावर दी जाएगी जिस रेट पर यू० पी० को दी जाती है।

18.16 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Power failure in Delhi on April 21, 1981.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष जी, दिल्ली भारत की राजधानी है और बिजली जीवन का एक जरूरी अंग है। राजधानी में 21-4-81 की रात 9-55 मिनट पर बिजली फेल हुई और 2 घण्टे तक बिजली नहीं आ सकी, जिससे समूची दिल्ली का लगाव समूचे देश और विदेश से कट गया। टेलीफोन व तार फेल हो गए हवाई उड़ानें रेडियो स्टेशन बन्द हो गए, अखबार (समाचार-पत्र) छप नहीं सके। अस्पताल में मरीजों के साथ क्या गुजरी यह सोच कर दिल कांपता है। बिजली फेल होने की जिम्मेवारी किस पर है और क्यों है इसकी जांच के लिये हाई कोर्ट के जज को नियुक्त किया जाये,

पाए गए दोषी अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही की जाये, जिससे भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं पुनः न घट सकें ।

18.17 hrs.

[SHRI K. RAJAMALLU *in the Chair*]

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : माननीय चेअरमेन, साहब, मैंने दिल्ली में बिजली जाने के बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया है । मैंने यह बताया है कि यह ब्रेकडाउन देहर से पानीपत लाइन में एक ट्रिपिंग की वजह से हुआ था । यह एक इम्पार्टेंट लाइन है जो कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यू० पी०, दिल्ली सभी को कनेक्ट करती है । इसमें पानीपत के पास एक टेक्नीकल डिफेक्ट हुआ इसकी वजह से दिल्ली में ब्लेक आउट हुआ । हमने थोडे से समय में ही कुछ मशीनरीज के डिफेक्ट को दूर करके बिजली को रेस्टोर कर दिया ।

जहां तक दिल्ली में पावर सिचुएशन का ताल्लुक है दिल्ली में पावर सिचुएशन पिछले दिनों में बहुत अच्छी रही है । मार्च, 1979 में जबकि इनकी सरकार थी सात दिन लोड शेडिंग हुआ जबकि इस साल एक दिन भी नहीं हुआ । अप्रैल, 1979 में जबकि इनकी सरकार थी 9 दिन लोड शेडिंग हुआ इस साल कोई भी नहीं हुआ । कल जो हुआ इसकी वजह ग्रिड में डिफेक्ट होना था । हमने इंक्वायरी आर्डर कर दी है । हमारे जितने टेक्नीकल मेम्बर हैं वे इसका पता लगायेंगे कि यह फेल्योर क्यों हुआ । यह बात मैंने स्टेटमेंट में मैं भी कह दी है । इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि वहां क्या टेक्नीकल रिक्वायरमेंटस हैं जिससे कि दुबारा यह रिपीटीशन न हो । यह प्योरेली टेक्नीकल मामला है । यह सब मैंने स्टेटमेंट में भी बताया है ।

श्री मनीराम बागड़ी । अगर पिछली सरकार कत्ल करे तो आपको भी कत्ल करने की छुट्टी है ? अगर पिछली सरकार ने पाप किया तो क्या आप भी पाप करेंगे ? अगर पिछली सरकार के वक्त में दस दिन बिजली नही आयी तो आप को भी इसके लिए माफ़ा दे दी जाए ? इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, पिछली सरकार जिम्मेदार नही । पिछली सरकार बुरी थी इसलिए आप भी बुरा होना चाहते हैं ?

(ii) HARMFUL EFFECTS OF INDISCRIMINATE USE OF POISONOUS CHEMICAL PESTICIDES

*SHRI RASABEHARI BEHERA (Kalahandi): Efforts are being made all over the country for increasing agricultural production and with that end in view the newly developed high yielding varieties of crops have been introduced extensively. Additional quanti ies of fertilizers and chemical pesticides are necessarily used in the fields where such high yielding varieties of seeds are sown. Proper instructions are always written on the cover of the packets and tin containers of these chemical pesticides about the method of their use in the fields. But the Indian farmers who are generally illiterate, find it extremely difficult to understand these written instructions.

A few years back one of the research organisations of San Francisco of USA had cautioned the farmers all over the country about the harmful effects of the use of chemical pesticides in farming. This organisation was of the view that the indiscriminate use of chemical pesticides was the root cause of a large number of new diseases and deaths caused there-

*The original speech was delivered in Oriya.